न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 12/2019 (डूंगरपुर डिक्री)

हांजिया उर्फ हांजा पिता थावरा मीणा, निवासी सरकण साई, ग्राम पंचायत आसेला, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. धनपाल उर्फ धनजी पिता हरजी मीणा, निवासी सरकण साई, ग्राम पंचायत आसेला, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार डूंगरपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर
दिनांक 07.06.2019 प्र.सं. 27/2013

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री हितेष भण्डारी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री पैरोकार सरकार

———::———

निर्णय **दिनांक 12–04–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरस्ती का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के नाम राजस्व ग्राम सरकण साई में नयी आराजी नंबर 1107 पुरानी 1066 रकबा 4 बीघा भूमि स्थित है, जिसका आवंटन उसे दिनांक 14–07–1972 को मिसल संख्या 842/72 से किया गया। वादी को उक्त आराजी के खातेदारी अधिकार दिनांक 10–02–1983 को प्राप्त हुए। इससे लगभग 30 वर्ष पूर्व से वादी उक्त जमीन पर काबिज चला आ रहा है तथा उसका कच्चा केलुपोश का मकान बना हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 को खसरा नंबर 1146/1066 रकबा 1 बीघा का आवंटन दिनांक 13–06–1992 को आराजी नंबर 1153/1066 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा का आवंटन दिनांक 18–10–2001 को किया गया। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 को कुल 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि के दो आवंटन हुए, जिसका वह गैरखातेदार है। वादी खसरा नंगर 1107/1066 का खातेदार होने से आज भी वादी का ही कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:28:53 IST
Reason: SelfAttested

चला आ रहा है, किन्तु वर्तमान नक्शा ट्रेस में वादी के खसरा नंबर को हटा दिया गया है, जिससे प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा नंबरान के स्थान पर वादी के खसरा नंबर 1107/1066 रकबा 4 बीघा का इन्द्राज किया जाना आवश्यक है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड नक्शे में वादी को आवंटित आराजी नंबर 1107/1066 रकबा 4 बीघा का अंकन किया जावे।

प्रतिवादी की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया है एवं निवेदन किया कि वादी के आवंटन की कोई जानकारी प्रतिवादी को नहीं है। प्रतिवादी का खसरा नंबर 1146/1066 रकबा 1 बीघा व 1153/1066 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा पर पुश्तैनी 1975 से कब्जा चला आ रहा है तथा उक्त जमीन उसे आवंटित होकर उसे खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके हैं। वादी का उक्त जमीन पर कभी कब्जा नहीं रहा। वादी को अन्यत्र कहीं आवंटन हुआ है, क्योंकि खसरा नंबर 1066 कर रकबा करीब 200 बीघा था। इसलिए वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

उक्त प्रतिदावे का वादी द्वारा जवाबुल जवाब भी प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर कुल 3 तनकियां कायम की गयी तथा पक्षकारों की साक्ष्य लेकर तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 07–06–2019 से वादी का वाद खारिज करते हुए प्रतिवादी का प्रतिदावा स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 29–07–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 औपचारिक पक्षकार की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि मौका रिपोर्ट अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बिना उसे सूचना दिये मनमकसूद तरीके से बनायी गयी है। अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण वादी की साक्ष्य में था एवं प्रकरण मं जिरह की जानी थी तथा इस स्टेज पर अधिनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट तलब करायी। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:28:53 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 औपचारिक पक्षकार की ओर से पैरोकार सरकार ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि मौका रिपोर्ट पर अपीलान्ट/वादी के हस्ताक्षर नहीं है अर्थात मौका रिपोर्ट अपीलान्ट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय तैयार की जाना प्रकट होता है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय मौका रिपोर्ट के आधार पर ही पारित किया गया है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से आपस्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 07–06–2019 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में कब्जे बाबत् उभयपक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर विधि के आलोक में निर्णय पारित करें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12–04–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:28:53 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:28:53 IST
Reason: SelfAttested